रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2850] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941
No. 2850] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3119(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तारीख 18 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1796(अ) की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (3) में "महाराष्ट्र राज्य" प्रविष्टि के स्थान पर "महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों को छोड़ कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 01/12/2009-सीएल-I(खंड.IV)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1796(अ) तारीख 18 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide

number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, in the Table, against Sl. No. 2, in Column (3), for the entries, "State of Maharashtra" the entries, "Whole State of Maharashtra except Pune, Ahmednagar, Kolhapur, Solapur, Satara, Sangli, Ratnagiri and Sindhudurg districts of the State of Maharashtra" shall be substituted.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3120(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तारीख 17 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2564(अ) की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने के लोप किया गया है, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित निम्नलिखित न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन 2 वर्ष अथवा अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के शीघ्र विचारण के उद्देश्य से विशेष न्यायालय के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	जिला न्यायमूर्ति-1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, पुणे	महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी और सिंधु-दुर्ग जिले।

[फा.सं. 01/12/2009-सीएल-I(खंड.IV)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3120(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide number S.O. 2564(E), dated, the 17th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby designates the following Court mentioned in column (2) of the Table below as Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said Act, namely:-

Table

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Pune.	Pune, Ahmednagar, Kolhapur, Solapur, Satara, Sangli, Ratnagiri and Sindhudurg districts of the State of Maharashtra.

F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt.Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.29 15:28:45 +05'30'